[2019] 9. एस.सी.आर. 925

रनधीर सिंह
बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 210) जुलाई 08, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति]

सेना अधिनियम, 1950- धारा- 120- अपीलकर्ता 43 सशस्त्र ब्रिगेड में नामांकित था और वास्तविक समय में कार्यवाहक लांस दफादार के रूप में तैनात था - आरोप है कि अगस्त, 2007 में सुबह सेवा क्षेत्र की सफाई के लिए ड्यूटी के दौरान, अपीलकर्ता एक सहकर्मी के निवास में प्रवेश कर गया और जब उसकी पत्नी उसके बेटे को धो रही थी, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा-सम्मरी कोर्ट मार्शल (एससीएम) - अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया- सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने यह मानते हुए कि आरोप विधिवत स्थापित किया गया था, निष्कर्ष निकाला कि बर्खास्तगी की सजा दी जा रही है अपीलकर्ता द्वारा याचना की गयी कि एससीएम का आयोजन एक अपवाद के रूप में होता है जहां तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है - अभिनिर्धारित किया गया: अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में, सुप्रीम कोर्ट सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने में सतर्क रहेगा जब एएफटी ने तथ्य की खोज करने में विधिवत अपना मस्तिष्क लगाया हो- एससीएम का आदेश देने की शक्ति एक कठोर शक्ति है जिसका प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिए जहां यह बिल्कुल जरूरी है कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, जैसा कि भारत संघ और अन्य बनाम विश्व प्रिया सिंह [2016]5 एस.सी.आर. 473 में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की बेंच द्वारा व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया गया है। धारा-120 की उपधारा- (2) की शुरुआत में "जब तत्काल कार्रवाई के लिए कोई गंभीर कारण नहीं है"- वर्तमान मामले में, हालांकि घटना 2 अगस्त 2007 को हुई थी, एससीएम 22 मई 2008 को हुआ था, एससीएम का आयोजन कानून के विपरीत था - घटना की तारीख से लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं - जब अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया था तब उसने लगभग बारह वर्ष की सेवा की थी - यदि अपीलकर्ता की सेवामुक्ति उस तारीख से प्रभावी होती है जिस दिन वह सेवा के पंद्रह वर्ष पूरे करता है तो न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। उसे पेंशन अनुदान के लिए पात्र बनाने के लिए - एएफटी के आदेश को संशोधित किया गया - पेंशन का बकाया अपीलकर्ता को भुगतान किया जाए – भारत का संविधान- अनुच्छे- 142- अभ्यास एवं प्रक्रिया।

अपीलकर्ता को 1996 में 43 सशस्त्र ब्रिगेड और सामग्री में नामांकित किया गया था वास्तविक समय कार्यवाहक लांस दफादार के पद पर तैनात थे। आरोप था कि अगस्त 2007 में जब अपीलकर्ता सुबह सेवा क्षेत्र की सफाई के लिए ड्यूटी पर था। एक सहकर्मी के आवास में प्रवेश किया और जब उसकी पत्नी उसके बच्चे को धो रही थी, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। सम्मरी कोर्ट मार्शल (एससीएम) आयोजित किया गया और अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल ने माना कि आरोप विधिवत स्थापित किया गया था, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि बर्खास्तगी की सज़ा अनुपातहीन थी और इसे मुक्ति के क्रम में संशोधित किया जाए। इसलिए, वर्तमान अपील की गयी। अपील की अनुमति देती है, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया। 1.1 अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता की जब सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने तथ्य के निष्कर्षों पर विधिवत अपना दिमाग लगाया है, तो सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी होगी। अपीलकर्ता की दलील का भी विधिवत मूल्यांकन किया गया है कि

Vetted by-Anuradha, Addl. Civil Judge (J.D.), I.D. No.-UP03684

अपीलकर्ता ने अतीत में पीड़ित के पति या पत्नी के खिलाफ पेट्रोल चोरी के लिए शिकायत दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट के लिए तथ्य के निष्कर्षों पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि एक स्वतंत्र आधार है जिस पर अपीलार्थी की दलीलें स्वीकार किये जाने योग्य होंगी। सेना अधिनियम, 1950 की धारा 120 की व्याख्या पूर्व हवलदार रतन सिंह और उसके बाद विश्व प्रिया सिंह मामले में निर्णय में की गई थी। विश्व प्रिया सिंह मामले में भारत संघ द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका में, पहले के फैसले को 16 फरवरी 2017 को स्पष्ट किया गया था। स्पष्टीकरण इंगित करता है कि सम्मरी कोर्ट मार्शल बुलाने के लिए कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता 5 जुलाई 2016 से लागू होगी। कानून का मूल सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है वह यह है कि एससीएम का आदेश देने की शक्ति एक कठोर शक्ति है जिसका प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिए जहां यह बिल्कुल जरूरी है कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। धारा 120 की उप-धारा (2) की प्रस्तावना "जब तत्काल कार्रवाई के लिए कोई गंभीर कारण न हो" शब्दों से की गई है। वर्तमान मामले में, हालांकि घटना 11 अगस्त 2007 को हुई थी, एससीएम 22 मई 2008 को हुआ था। एससीएम का आयोजन कानून के विपरीत था। आमतौर पर प्रतिवादियों को कानून के अनुसार अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी गई होगी। हालाँकि, घटना की तारीख को लगभग बारह साल बीत चुके हैं। रणधीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य मामले में अपीलकर्ता की सेवा लगभग बारह वर्ष थी। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि न्याय के उद्देश्य तभी पूरे होंगे जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हम आदेश और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता की मुक्ति तब से प्रभावी होगी। जब वह तारीख जिस पर वह पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ले ताकि उसे पेंशन अनुदान के लिए पात्र बनाया जा सके। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और उपरोक्त शर्तों में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश को संशोधित करते हैं। अपीलकर्ता को न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा पूरी होने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वह कानून के अनुसार अपने पेंशन लाभ के वितरण का हकदार होगा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को पेंशन की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। [पैरा 8, 10-15] [929-डी-ई; 930-सी-डी; 931-सी, ई-एच; 932-ए-डी]

भारत संघ एवं अन्य बनाम विश्व प्रिया सिंह

(2016) 8 एससीसी 641: [2016] 5 एससीआर 473 - पर बल दिया गया।

पूर्व हवलदार रतन सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य।

एआईआर 1992 एससी 415: [1991] 2 पूरक एससीआर 370

केस कानून संदर्भ

[1991] 2 पूरक। एससीआर 370 को पैरा 10 में संदर्भित किया गया है

[2016] 5 एससीआर 473 पैरा 10 पर निर्भर था

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 2017 की संख्या 210

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ, चंडीमंदिर, ओ.ए. के निर्णय और आदेश दिनांक 07.12.2015 और 08.07.2016 से। 2011 के नंबर 154 और 2016 के एम.ए. नंबर 1906 और 1907 में ओ.ए. क्रमश: 2011 की संख्या 154

नरेश घई, नरेश कुमार, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

संजय जैन, एएसजी, अनीश कुमार गुप्ता, वीवीवी पद्माभिराम, अरविंद कुमार शर्मा, चंद्र शेखर सुमन, पुनीत श्योराण, सुश्री। रिमी बसु- उत्तरदाताओं के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति।

1 - स्वीकृत।

2- यह अपील सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ के 7 दिसंबर 2015 के फैसले से उत्पन्न हुई है। अपीलकर्ता को 29 अक्टूबर 1996 को 43 सशस्त्र ब्रिगेड में नामांकित किया गया था और उस समय वह कार्यवाहक लांस दफादार के रूप में तैनात था। यह आरोप लगाया गया है कि 11 अगस्त 2007 को सुबह सेवा क्षेत्र की सफाई के लिए ड्यूटी के दौरान, अपीलकर्ता एक सहकर्मी के आवास में घुस गया और जब उसकी पत्नी अपने बेटे को धो रही थी, तो उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया।

3- 22 मई 2008 को एक समरी कोर्ट मार्शल हुआ जिसके दौरान साक्ष्य दर्ज किए गए। अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एससीएम के दौरान गवाही देने वालों में पीड़िता और उसके पति शामिल थे।

4 - सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, यह मानते हुए कि आरोप विधिवत स्थापित किया गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बर्खास्तगी की सजा असंगत थी और इसे मुक्ति के आदेश में संशोधित किया जाना चाहिए।

5- अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नरेश घई ने प्रस्तुत किया है कि साक्ष्य के दौरान यह सामने आया कि जून या जुलाई 2007 के महीने में, अपीलकर्ता ने पीड़ित के पति या पत्नी पर अनाधिकृत रूप से पेट्रोल निकालने की सूचना दी थी, जिसके लिए बाद में सजा दी गई। यह विशेष रूप से एससीएम में पीड़ित के पति या पत्नी की जांच के दौरान सामने आया था। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि पूरी घटना मनगढ़ंत है और केवल अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित के पति या पत्नी की ओर से दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने का प्रतिशोध है।

6- विधि के प्रश्न पर, यह आग्रह किया गया था कि सेना अधिनियम 1950 की धारा-120 के प्रावधानों और पूर्व हवलदार रतन सिंह बनाम भारत संघ और अन्य 3 भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एससीएम का आयोजन एक अपवाद के रूप में होता है जहां तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है। इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया कि अगस्त 2007 में हुई एक घटना के संबंध में मई 2008 में एससीएम आयोजित करने का कोई कारण या औचित्य नहीं था।

7- विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री संजय जैन ने प्रस्तुत किया कदाचार के आरोप की योग्यता के आधार पर, पीड़िता और उसके पति दोनों ने एससीएम द्वारा जांच के दौरान गवाही दी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के पास तथ्य के शुद्ध निष्कर्षों की समीक्षा करने का कोई अवसर नहीं है, जिसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा

पुष्टि की गई है। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया था कि विश्व प्रिया सिंह (पूर्वोक्त) के फैसले को समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया गया है ताकि 5 जुलाई 2016 से लागू हो, जबकि विचाराधीन घटना अगस्त 2007 की है।

8- अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, यह न्यायालय साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन में सतर्क रहेगा जब सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने तथ्य के निष्कर्षों पर विधिवत अपना दिमाग लगाया है। हमने अपीलकर्ता की दलील कार्यवाहक लांस दफादार का भी विधिवत मूल्यांकन किया है कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने अतीत में पीड़ित के पति या पत्नी के खिलाफ पेट्रोल चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। जैसा भी हो, इस न्यायालय के लिए तथ्य के निष्कर्षों पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि एक स्वतंत्र आधार है जिस पर अपीलकर्ता की दलीलें स्वीकार करने योग्य होंगी।

9- सेना अधिनियम, 1950 की धारा 120 इस प्रकार प्रदान करती है:

> “120. सम्मरी कोर्ट मार्शल न्यायालयों की शक्तियाँ ।
>
> (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, एक सम्मरी कोर्ट-मार्शल इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई कर सकता है।
>
> (2) जब तत्काल कार्रवाई के लिए कोई गंभीर कारण नहीं है और कथित अपराधी के मुकदमे के लिए जिला कोर्ट-मार्शल या सक्रिय सेवा पर सम्मरी जनरल कोर्ट-मार्शल बुलाने के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारी को अनुशासन की हानि के बिना संदर्भ दिया जा सकता है, समरी कोर्ट-मार्शल रखने वाला अधिकारी ऐसे संदर्भ के बिना धारा 34, 37 और 69 में से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध या कोर्ट संभालने वाले अधिकारी के खिलाफ किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।
>
> (3) एक सम्मरी कोर्ट-मार्शल किसी अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी या वारंट अधिकारी को कार्यवाहक लांस दफादार छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन और अदालत संभालने वाले अधिकारी के आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है।
>
> (4) एक सम्मरी कोर्ट-मार्शल इस अधिनियम के तहत पारित होने वाली कोई भी सजा पारित कर सकता है, मौत या परिवहन की सजा , या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक अवधि के लिए कारावास को छोड़कर।

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट सीमा एक वर्ष होगी यदि सम्मरी कोर्ट-मार्शल रखने वाला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के रैंक का है, और यदि ऐसा अधिकारी उस रैंक से नीचे है तो तीन महीने की होगी।

10- इन प्रावधानों की व्याख्या पूर्व हवलदार रतन सिंह (पूर्वोक्त) के फैसले में की गई थी। इसके बाद विश्व प्रिया सिंह पूर्वोक्त) मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने धारा-120 की व्याख्या करते हुए इस प्रकार कहा:

> “19. अधिनियम की धारा 116 किसी भी कोर, विभाग और नियमित सेना की टुकड़ी के सीओ को एससीएम रखने का अधिकार देती है और विशेष रूप से कहती है कि वह अकेले ही न्यायालय का गठन करेगा। उप-धारा (2) तब निर्धारित करती है कि कार्यवाही में, हालांकि, उसमें निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्तियों द्वारा भाग लिया जाएगा। हालाँकि, ऐसे व्यक्तियों को शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए या पुष्टि नहीं की जानी चाहिए। धारा 113, 115 और 114 के विपरीत, जहां संबंधित कोर्ट-मार्शल की संरचना में कम से कम तीन

अधिकारी शामिल होना निर्धारित है, यह अकेले सीओ है जो एससीएम के संबंध में धारा 116 के तहत न्यायालय का गठन करता है। इसके अलावा, नियमों के नियम 39 और 40 के तहत, आरोपी के सीओ, या जिस कोर से आरोपी संबंधित है, उसे जीसीएम या डीसीएम पर सेवा करने के लिए विशेष रूप से अयोग्य ठहराया जाता है और जीसीएम की संरचना में विभिन्न कोर या विभागों के अधिकारी शामिल होने चाहिए। हालाँकि, ऐसा कोई प्रतिबंध एससीएम पर लागू नहीं होता है और वास्तव में सीओ को स्वयं न्यायालय का गठन करना होगा। इस प्रकार अधिनियम ने एक ही व्यक्ति, यानी सीओ को कठोर शक्ति प्रदान कार्यवाहक लांस दफादार की है, जिसे अकेले ही न्यायालय का गठन करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जहां तक धारा 120 की उप-धारा (4) और (5) के संदर्भ में सजा देने की शक्ति का संबंध है, यह शक्ति प्रतिबंधों के साथ आती है। हालांकि ऐसे प्रतिबंधों के साथ भी शक्ति काफी कठोर है। ऐसी शक्ति प्रदान करने का कारण स्पष्ट है कि सैनिकों और इकाइयों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए, सीओ के पास कुछ विशेष शक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि यह अनुशासन ही है जो काफी हद तक इकाई को बांधता है और इसे एक एकजुट बल बनाता है।

20. इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय का यह मानना पूरी तरह से सही था कि ऐसी शक्ति का प्रयोग शायद ही कभी किया जाना चाहिए और जब यह बिल्कुल जरूरी हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो।इस सम्बन्ध में संतुष्टि या तो लिखित रूप में व्यक्त की जानी चाहिए या रिकॉर्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए, खासकर जब सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के लागू होने के साथ मामले पर न्यायाधिकरण द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

11- भारत संघ द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका में, पहले के फैसले को 16 फरवरी 2017 को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया था:

“… जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ 20 और 33 में निर्धारित किया गया है, सम्मरी कोर्ट मार्शल बुलाने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता, निर्णय की तारीख अर्थात् 05.07.2016 से लागू होगी। इस स्पष्टीकरण को छोड़कर, हम संतुष्ट हैं कि दिनांक 05.07.2016 के फैसले की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।"

12- उपरोक्त स्पष्टीकरण इंगित करता है कि सम्मरी कोर्ट मार्शल बुलाने के लिए कारण दर्ज करने की आवश्यकता 5 जुलाई 2016 से लागू होगी। हालाँकि, कानून का मूल सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है वह यह है कि एससीएम का आदेश देने की शक्ति एक कठोर शक्ति है जिसे होना ही चाहिए जो ऐसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है जहां यह बिल्कुल जरूरी है कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। धारा 120 की उप-धारा (2) की शुरुआत इन शब्दों से की गई है "जब तत्काल कार्रवाई के लिए कोई गंभीर कारण न हो"। वर्तमान मामले में, हालांकि घटना 11 अगस्त 2007 को हुई थी, एससीएम 22 मई 2008 को हुआ था। एससीएम का आयोजन कानून के विपरीत था।

13- इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, हम आम तौर पर प्रतिवादियों को अपीलकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता देते। हालाँकि, घटना की तारीख को लगभग बारह साल बीत चुके हैं। अपनी दलीलों

के दौरान, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस समय, जांच को समाप्त करने के लिए गवाहों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है और इसलिए, कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह व्यावहारिक नहीं होगा।

14 - अपीलकर्ता की लगभग बारह वर्ष की सेवा थी जब उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि न्याय के उद्देश्य तभी पूरे होंगे जब भारत के संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए , हम आदेश और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता की उन्मुक्ति तब से प्रभावी होगी जब वह तारीख जिस पर वह पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ले ताकि उसे पेंशन अनुदान के लिए पात्र बनाया जा सके। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा।

15- हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और उपरोक्त शर्तों में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को संशोधित करते हैं। अपीलकर्ता को न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा पूरी होने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वह कानून के अनुसार अपने पेंशन लाभ के वितरण का हकदार होगा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को पेंशन की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। कोई लागत नहीं।
16- लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया।

अपील स्वीकृत।

1. कार्यवाहक लांस दफादार

2 “एस.सी.एम.

3 ए.आई.आर. 1992 एस.सी.सी 415

4 (2016) 8 एस.सी.सी. 641

समीक्षा याचिका संख्या 3927[2019]

प्रमाण पत्र कार्यवाहक लांस दफादार

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या के अनुपालन में 14088 /SUVAS Cell/S.J.O./ Allahabad Dated:- 30.10.2023 के अनुपालन में रनधीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य का हिन्दी अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है।

भवदीया,

(अनुराधा)
अपर सिविल जज (जू०डि०),
कक्ष सं०–40, शाहजहॉपुर।

J.O. Code– UP03684